झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, रांची

नालसा (बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सेवाऐं और उनके संरक्षण के लिए विधिक सेवाऐं) योजना, 2015 - संक्षिप्त परिदृश्य

योजना क्यों

दिल्ली में, 16 वर्ष का बच्चा X मोबाइल फोन चुराने का अभियुक्त है। मुम्बई में, 12 वर्ष का बच्चा Y यौन दुर्वव्यवहार से पीड़ित है। कलकत्ता में Z के माता-पिता उसकी अभिरक्षा हेतु संघर्ष कर रहे हैं । चेन्नई में 13 वर्षीय बच्चा S एक फैक्ट्री से छुड़ाया गया जो तस्करी का शिकार है। प्रत्येक दिन बच्चे इसी तरह न्याय प्रणाली के संपर्क में आते हैं, जहाँ औपचारिक एवं अनौपचारिक न्याय प्रदाता निर्णय देते हैं जो उनके भविष्य को प्रभावित करने की क्षमता रखते है। इन बच्चों के क्या अधिकार हैं जब वे विधि के संपर्क में आते हैं? क्या वे किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता के हकदार हैं? यदि ऐसा है तो वह सेवाएँ कैसे उपलब्ध कराई जाएंगी और आवश्यकता एवं आपदा की परिस्थिति में क्या बच्चों तक पहुँच सकेंगी? कैसे विधिक सेवाएँ 'शिशु अनुकूल' बनाई जायेंगी जब तक तर्कगत एवं आर्थिक रूप से इतनी बाधाएं हैं? कैसे शिशु अनुकूल न्याय की परिकल्पना अनौपचारिक न्याय व्यवस्था में भूमिका अदा करती है? इस योजना का प्रयोजन इन समस्यायों को सुलझाने हेतु एक परिकल्पित एवं कार्यशील पद्धति का सुझाव देना है जिसका अंतिम लक्ष्य 'जमीनी स्तर' पर बच्चों को सार्थक, प्रभावी, उपयोगी एवं आयु संगत विधिक सहायता प्रदान करना है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैं :-

(i) बच्चों तक पहुँचाने के लिए मूल अधिकारों एवं लाभों की रूपरेखा बनाना।

(ii) बच्चों की देख-भाल एवं संरक्षण और सभी स्तरों पर बच्चों के कानूनी झगड़ो के लिए विधिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करना।

(iii) विधिक सेवाएँ, संस्थागत देखभाल, परामर्श एवं राष्ट्रीय, राज्य, जिला एवं तालुका के स्तरों पर सहयोग सेवाओं को दृढ़ करना।

(iv) किशोर न्याय प्रणाली में एक माहौल तैयार करना जिसमें बच्चों को महत्त्व दिया जाए, उन्हें प्रोत्साहित किया जाए, उन्हें मान्यता दी जाए और उनके अधिकारों को सम्मान दिया जाए और उनसे एक वैयक्तिक विशिष्टता के साथ व्यवहार किया जाए।

(v) समस्त पदाधिकारियों जिनमें अर्धविधिक स्वयंसेवी, पैनल अधिवक्ता परामर्शकर्ता, सेवा प्रदाताओं, गैर सरकारी संगठन, स्थानीय निकाय, पुलिस, न्याय विभाग एवं राज्य सरकार के अन्य संबंधित विभाग शामिल होंगे, की सभी स्तरों पर क्षमताओं का संवर्धन करना ताकि वे बाल मित्रवत विधिक सेवायें उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व लें।

(vi) यह सुनिश्चित करना कि अनिवार्य प्राधिकरणों एवं संस्थानों जैसे कि किशोर न्याय परिषदों, बाल कल्याण समितियों, अन्य कल्याणकारी समितियों, अवलोकन तथा आश्रयग्रह, मनोचिकित्सक अस्पताल अथवा नर्सिंगहोम, आयोगों , परिषदों, परिवीक्षा अधिकारियों के कार्यालय आदि, विभिन्न बाल मित्र विधानों के अंतर्गत स्थापित हों।

(vii) बाल कल्याण एवं सुरक्षा के लिए उपलब्ध वर्तमान केन्द्रीय तथा राज्य परियोजनायें नीतियां, विनियम, एस.ओ. पी. स., पुलिस निदेशों, सम्मेलनों, नियमों, घोषणाओं, टिप्पणियों और रिपोर्टों आदि आंकड़ो का संचय करना।

(viii) बाल अधिकारों एवं उनकी सुरक्षा पर उपलब्ध बाल सुरक्षा सेवाओं, परियोजनाओं और सभी स्तरों पर ढांचों के बारे मे बड़े पैमाने पर जनता को शिक्षित करने के लिए सभी हित धारकों अर्थात अर्धविधिक स्वयंसेवी, किशोर न्याय परिषद् के सदस्य एवं बाल कल्याण समिति, कल्याण अधिकारियों, पुलिस, लोक अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न घरों के देखरेख करने वाले, शैक्षणिक एवं चिकित्सक संस्थानों आदि के लिए जागरूकता कार्यकम आयोजित करना।

(ix) वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों, एस.जे.पी.यूं., जे.डब्ल्यु.ओ.एस., पैनल अधिवक्तागण, अर्ध विधिक स्वयंसेवी, किशोर न्याय परिषद् के सदस्यों, कल्याण अधिकारियों, सलाहकारों, परिवीक्षा अधिकारियों, लोक अभियोजकों, न्यायिक अधिकारियों, विभिन्न घरों के देख-रेख करने वालों के लिए कौशल विकास तथा उनमें उत्तरदायित्व का अहसास जगाने के लिए प्रशिक्षण, अभिविन्यास और संवेदीकरण हेतु कार्यक्रमों का आयोजन तथा व्यवस्था करना।

(x) विधिक तथा बाल अधिकारों एवं सम्बद्ध क्षेत्रें के बारे में सम्मेलनों, औपचारिक वार्तालाप, कार्यशालाओं एवं सभाओं का आयोजन करना।

(xi) सभी सरकारी निकायों या पदाधिकारियों, संस्थानों, प्राधिकरणों, गैर सरकारी संगठनों और अन्य सम्बंधित संगठनों या जिन्हें बाल अधिकारों से सम्बंधित जिम्मेदारियां सौंपी गयी हैं, के बीच में प्रभावी समन्वय और संपर्क विकसित करना।

(xii) विभिन्न परियोजनाओं, कानूनों आदि पर अध्ययन कर अनुसंधान और प्रलेखन करना, उनमें कमियाँ खोजना तत्पश्चात उपयुक्त प्राधिकरणों को सुझाव देना।

प्रमुख सिद्धांत जिन्हें विधिक सेवा संस्थानों को सभी स्तरों पर अपने ध्यान में रखना चाहिए :-

बालक के सर्वोत्तम हितः-

यह प्रत्येक ऐसे बालक, जिसे देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता है तथा जो कानून के साथ संघर्ष में हैं का अधि कार है कि विधिक सेवाएं प्रदान करते समय, उसके अधिकारों को सर्वोत्तम महत्व दिया जाए।

बाल कल्याण :-

अन्य सभी बातों के बावजूद बाल कल्याण हमेशा प्राथमिक होगा। बाल कल्याण को प्रोत्साहन देने के लिए त्वरित हस्तक्षेप तथा सहायता उपलब्ध होनी चाहिए।

सम्मान का अधिकार :-

प्रत्येक बालक को यह अधिकार है कि उसके साथ सम्मान एवं दया तथा करुणा का व्यवहार किया जाए एवं वह इसके योग्य है कि उसका सम्मान तथा सुरक्षा की जाए।

समानता एवं पक्षपात न किये जाने का अधिकार :-

बालक की जाति, वंश, धर्म, विश्वास, आयु, परिवार स्तर, संस्कृति, भाषा, नस्ल, अशक्ताओं यदि कोई हो अथवा जन्म स्थान को ध्यान में रखे बिना प्रत्येक बालक के साथ किसी भी पक्षपात का व्यवहार नहीं किया जाएगा।

सुनवाई के अधिकार का सिद्धांत :-

प्रत्येक बालक सूचित किये जाने, सुने जाने का अधिकार रखता है एवं अपने विचार एवं चिंताओं को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता के साथ व्यक्त करने का अधिकार रखता है।

सुरक्षा के अधिकार का सिद्धांत :-

प्रत्येक बालक समस्त स्तरों पर सुरक्षा का अधिकार रखता है एवं वह किसी हानि, शोषण, उपेक्षा आदि से ग्रस्त नहीं किया जा सकता।

गोपनीयता का सिद्धांत :-

किसी बालक की गोपनीयता विधिक सेवा संस्थानों के समस्त स्तरों पर सुरक्षित की जायेगी।

योजना के उदेश्य प्राप्ति हेतु कार्य कार्ययोजना

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसे सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक जिले में बाल न्याय परिषद्‌िय निमित न्यायालय से पृथक रूप से स्थापित किया जाए और जहां ऐसा कोई परिषद् स्थापित न हो राज्य विधिक सेवा परिषद् इसे अति आवश्यक आधार पर राज्य सरकार तक ले जाएगा ताकि बाल परिषद् प्रत्येक जिले में स्थापित हो सके।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक जिले में बाल कल्याण समितियां स्थापित की जाएँ तथा जहां ऐसी समितियां गठित नहीं हैं वहां राज्य सेवा विधिक प्राधिकरण यह मामला राज्य सरकार के समक्ष अविलम्ब उठाएगा ताकि प्रत्येक जिले में समिति का गठन हो सके।
- किशोर न्याय अधिनियम में यह अनुज्ञात है कि विधि के विरोध में किशोरों से व्यवहार करने के लिए विशेष किशोर पुलिस इकाई का गठन किया जाये। प्रत्येक पुलिस थाने में कम से कम एक पुलिस अधिकारी जिसे विशेष रूप से निर्देश तथा प्रशिक्षण दिया गया है, को किशोर/बालक कल्याण अधिकारी से पद नामित किया जाए जो किशोरों से व्यवहार करेगा (धारा 63, जे. जे. अधिनियम एवं जे. जे. नियमों का नियम 11)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसी विशेष किशोर पुलिस इकाइयाँ स्थापित हों।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि पद नामित किशोर कल्याण अधिकारियों तथा राज्य किशोर पुलिस इकाइयों के सदस्यों के नामों तथा संपर्क विवरणों की सूची राज्य के प्रत्येक पुलिस थाने में मुख्य रूप से दर्शित हो।
- किशोर न्याय अधिनियम की धारा 62 ऐ के अंतर्गत प्रत्येक राज्य सरकार एक बाल सुरक्षा इकाई का गठन प्रत्येक राज्य के लिए करेगी तथा प्रत्येक जिले के लिए संरक्षण अथवा देखभाल की आवश्यकता के लिए बालकों से सम्बंधित मामले प्रत्येक जिले में देखेगी। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे बाल संरक्षण इकाई की स्थापना हो जाये।

संप्रेक्षण एवं आश्रय गृह

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, राज्य सरकार अथवा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा कितनी संस्थाएं अर्थात किशोर घर, आश्रय गृह एवं सम्प्रेक्ष गृह राज्य में अपराधी किशोरों की देखरेख एवं सुरक्षा हेतु चलाए जा रहे हैं का अद्यतन अभिलेख रखेगा।

- यदि कोई देखरेख एवं सुरक्षा वाले बच्चों हेतु संस्थाएं यदि पंजीकृत नहीं हो तो वह बंद कर दी जायेंगी अथवा राज्य सरकार द्वारा ले ली जायेंगी। रि: तमिलनाडू राज्य के अनाथ आश्रमों में बच्चों का शोषण बनाम भारत संघ (UOI) एवं अन्य (2014) 2 SCC 180)। इस सन्दर्भ में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य सरकार तक मामले को ले जायेगा ताकि अपंजीकृत संस्थाओं के विषय में आवश्यक कार्य किया जा सके।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण इसे सुनिश्चित करेगा कि राज्य सरकार द्वारा पंजीकृत संप्रेक्षण गृह, आश्रय गृह एवं किशोर देखरेख गृह पर्याप्त संख्या में उपलब्ध हों ताकि विधि के साथ संघर्ष मे बालकों तथा देखरेख एवं सुरक्षा की आवश्यकता वाले बालकों को उनमें रखा जा सके।
- प्रत्येक राज्य विधिक प्राधिकरण 'संप्रेक्षण एवं किशोर गृह समिति' का गठन करेंगे। राज्य के प्रत्येक जिले के पूर्णकालिक सचिव अध्यक्ष के रूप में होंगे तथा एक पैनल अधिवक्ता और परिवीक्षा अधिकारी सदस्य के रूप में होंगे। गठित समिति, जिले में स्थित प्रत्येक घर में माह में कम से कम एक बार अपना भ्रमण करने के बारे में समयावली बनायेगी।
- मुख्य रूप से समिति का कार्य यह देखना होगा कि संप्रेक्षण गृह, विशेष गृह और बाल गृह बाल मित्रतापूर्ण हैं और यह कारागार या हवालात की तरह नहीं हैं और इनमें बेहतर किस्म की देखरेख व सुविधाएँ मौजूद हैं। इनमें स्वच्छता और सफाई, कपड़े और बिस्तर, भोजन और आहार, चिकित्सा और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल, स्थानीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के साथ समन्वय व स्वास्थ्य संबंधी अभिलेख संधारण इत्यादि की समस्त सुविधायें मौजूद हैं। यदि समिति द्वारा कुछ भी कमी पाई जाती है तो राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण आवश्यक कार्यवाही हेतु सम्बंधित पदाधिकारी के समक्ष उनकी ओर से मामला उठाएगा और आगे की कार्यवाही करेगा।

विधिक सेवा क्लिनिक

- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य के प्रत्येक जिले में विधिक सेवा क्लिनिक प्रत्येक किशोर न्याय बोर्ड तथा बाल कल्याण समिति में स्थापित करेगा।
- विधिक सेवा क्लिनिक के खुलने के बारे में तथा सम्बंधित दूरभाष एवं क्लीनिकों के पतों के बारे में समस्त सरकारी निकायों, विभागों जिनमें, पुलिस गैर सरकारी संस्थाएं सम्मिल्लित हैं, को सूचित किया जायेगा।
- ऐसे विधिक सेवा क्लीनिकों मे पी.एल.वी. संलग्न किये जायेंगे।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य, जिला तथा तालुका सेवा स्तर पर अपने सभी कार्यालयों में दूरभाष नंबर एवं क्लिीनिक की अन्य सूचना प्रदर्शित करेगा।
- स्थापित विधिक सेवा क्लिनिक, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (विधिक सहायता क्लिनिक) विनियमन, 2011 में दिए गए उनके कार्यों, आधारभूत सुविधाओं, रिकार्ड और रजिस्टर का रख-रखाव, पैनल अधिवक्तागण का दौरा, अर्धविधिक स्वयंसेवी की प्रतिनियुक्ति तथा ऐसे क्लिनिको पर नियंत्रण द्वारा शासित किये जायेंगे।
- समस्त जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, प्राचार्य के समन्वय से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के नियंत्रण में जिले के प्रत्येक विद्यालय में विधिक साक्षरता क्लब की स्थापना करेगा।

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका

- कानून की आवश्कता को पूरा करने के लिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अधिवक्तागण का एक प्रशिक्षित और प्रतिबद्ध पैनल गठित करेगा जो कि बच्चों/किशोरों को समस्त मंचो अर्थात किशोर न्याय परिषदों, बाल कल्याण समितियों में उनका प्रतिनिधित्व करें ताकि उन्हें जमीनी स्तर पर सार्थक तथा प्रभावी विधिक सेवाएँ प्राप्त हो सकें।
- राज्य सेवा प्राधिकरण यह सुनिश्चित करेगा कि बच्चों अथवा किशोरों को दी गई विविध सेवाएँ उच्च कोटि की हों और प्रभावी हों जिसके लिए किशोर न्याय परिषद् एवं बाल कल्याण समिति में सक्षम और समर्पित अधिवक्तागण का पैनल हो ।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण पैनल अधिवक्तागण के कार्यो की निगरानी एवं निरीक्षण करेगा और आकस्मिक निरीक्षण का तंत्र तैयार करेगा।
- पैनल अधिवक्ता को उनका पारिश्रमिक, किये गये कार्य की रिपोर्ट जो किशोर न्याय परिषद अथवा बाल कल्याण समिति जहॉ पर पैनल अधिवक्ता तैनात किया गया हो, द्वारा प्रति हस्ताक्षर के आधार पर दिया जाएगा।
- राज्य विधिक सेवा परिषद, विधिक अधिकारी, पैनल अधिवक्ता तथा किशोर न्याय परिषदों तथा बाल कल्याण समितियों में स्थापित विधिक सेवा क्लीनिक के मध्य प्रभावी समन्वय को सुनिश्चित करेगा ताकि प्रत्येक बालक का कानूनी रूप से प्रतिनिधित्व हो और नि:शुल्क विधिक सहायता एवं अन्य आवश्यक समर्थन प्राप्त हो।

विधिक जागरूकता

- समस्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, छोटी पुस्तके/पर्चे/बच्चों के अधिकारो से संबंधित उपलब्ध योजनाओ की जानकारी युक्त कानूनी सेवा पुस्तिका छापेगा/ छोटी पुस्तिकाएं/पर्चे/विधिक सेवा पुस्तिका की प्रतियाँ सभी स्वागत कक्षो, विधिक सेवा किलनिको, किशोर न्याय परिषदों, बाल कल्याण समितियों पुलिस थानों आदि में उपलब्ध कराई जाएगी।
- उपरोक्त विवरण से संबधित जानकारी दूरदर्शन, आकाशवाणी, समुदाय रेडियो द्वारा फैलाई जाए।
- समस्त राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण शिक्षा संस्थानो, बाल सरंक्षण अधिकार के लिये राज्य आयोग, गैर-सरकारी संस्थाओं आदि के सहयोग से बाल अधिकारो तथा उनके संरक्षण के बारे में लोगो में जागरूकता फैलाएंगे।
- स्कूल तथा कालेज के छात्रों में बाल अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाने के अन्य साधनों में निबंध प्रतियोगिताएँ, नुक्कड़ नाटक प्रतियोगिताएँ, पोस्टर बनाने की प्रतियोगिताएं, चित्रकला प्रतियोगिताएं तथा वाद-विवाद प्रतियोगिताएं है।
- अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवक को बाल उपयुक्त संदेशों का प्रयोग करते हुए पोस्टरों के वितरण द्वारा एक प्रभावकारी सुगम्य अभियान बनाने के लिए कहा जाएगा।
- प्रत्येक बालक को उसके विधिक सहायता के अधिकार के बारे में सूचित करने के अतिरिक्त, विधिक सशक्तिकरण के लिए सहयोग एवं सहायता पैदा करना तथा विधिक सेवा प्रदाताओं के साथ असरदायक कार्यकारी सम्बन्ध बनाने के लिए समुदायों, जनता और निजी अभिकरणों तक पहुँचाना और इन्हें जोड़ना भी महत्वपूर्ण होगा।
- विधिक सेवा के जरूरतमंद कई बच्चे दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रे में रहते हैं। परिणाम स्वरूप बच्चों का, जहाँ वह रहते हैं, विधिक सेवाओं तक शारीरिक रूप से पहुँचना अक्सर असंभव लगता है । इस बाधा को दूर करने के लिए, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उसी जगह पर बच्चों को कई विधिक सेवाएँ प्रदान करने हेतु मोबाइल क्लिनिक और एकल केंद्र कार्यक्रम सहित कुछ कदम उठाएगा।
- बचपन बचाओ आन्दोलन बनाम भारत सरकार के निर्देशों के अनुसरण में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, शुरुआती साक्षात्कार एवं जांचों को संचालित करने हेतु, परामर्श देने और बच्चों एवं उनके परिवार के बीच मे कड़ी के रूप में काम करने हेतु प्रत्येक पुलिस स्टेशन में नियुक्त अर्द्ध-विधिक स्वयंसेवकों की सेवाएँ लेंगे।
- प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण राज्य सरकार के साथ मामलें पर चर्चा करेगी ताकि सभी स्कूलों के पाठक्रम में बाल अधिकारों को सम्मिलित किया जा सके, जिससे बच्चे अपने अधिकारों को जान सकेंगे।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, दण्ड प्रक्रिया सहिंता की धारा 357। एवं राज्य की कोई भी पीड़ित मुआवजा योजना में जुड़ गए नए प्रावधानों की जानकारी की जागरूकता का प्रसार करेगी ताकि बच्चों को तत्काल मुआवजा उपलब्ध हो सके।
- प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवाओं पर निर्देशिका विकसित करेगी जो सभी मुख्य हिस्सेदारों पर तुरंत उपलब्ध होगी।
- प्रत्येक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बच्चों के शिक्षा अधिकारों सहित अभिवावकों द्वारा अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के मौलिक कर्तव्यों के विषय में सभी स्तरों पर गहन विधिक जागरूकता अभियानों को आयोजित करेगी।
- बच्चों हेतु गैर-संस्थागत सेवाएँ जैसे गोद लेना, आर्थिक सरंक्षण एवं पालन-पोषण आदि की उपलब्धता के बारे में जागरूकता फैलाने की आवश्यकता है।
- राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उन स्वयंसेवी संस्थाओं को आधिकारिक मान्यता प्रदान करने का प्रयत्न करेगा, जिनके पास विश्वसनीय प्रत्यय-पत्र होंगे एवं वह उन मामलों में लिप्त होंगे जिनमें बच्चों को देखभाल और संरक्षण की जरुरत हैं।
- बाल श्रम की समस्या को खत्म एवं संविधान के जनादेश की प्रभावोत्पादकता हेतु, भारतीय उच्चतम न्यायालय ने एम.सी. मेहता बनाम तमिलनाडू राज्य प्रतिवेदित (1996) 6 SCC 756 में अत्यधिक संख्या में आवश्यक निर्देश प्रदान किये हैं। उन निर्देशों में से एक महत्वपूर्ण निर्देश था जिसके अंर्तगत नियोजक को बालश्रम (निषेध एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1986 के उल्लंघन में 14 वर्ष से कम के बालक को खतरनाक कार्य में लगाने पर रु. 20,000/- का मुआवजा देना है। समुचित सरकार को ऐसे प्रत्येक बच्चे को जो खतरनाक काम में कार्यरत है, रू. 5,000/- अनुदान के रूप में देने के निर्देश दिये गये थे। उपरोक्त कथित रकम रू.25,000/- को कोष में जमा करना होगा जो कि बालश्रम-पुनर्वास सह-कल्याण कोष के नाम से जाना जाता है और ऐसे कोष की राशि, मुक्त कराएगा ये बच्चों के पुनर्वास में प्रयोग होगी। सभी विधिक सेवा प्राधिकरण, पुलिस, श्रम विभाग एवं अन्य सम्बंधित प्राधिकरणों से उपरोक्त निर्देशों के पालन एवं मामले की आगे की कार्यवाहियों हेतु समन्वय करेंगे।

❑❑❑